

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ई-मेल : seiaacg@gmail.com

विषय:- राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 15/05/2020 को संपन्न 321वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

---00---

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 321वीं बैठक दिनांक 15/05/2020 को श्री धीरेन्द्र शर्मा, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

1. डॉ. मोहन लाल अग्रवाल, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
2. श्री अरविन्द कुमार गौरहा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
3. श्री नीलेश्वर प्रसाद साहू, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
4. डॉ. एम.डब्ल्यू.वाय. खान, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
5. डॉ. विकास कुमार जैन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
6. डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
7. श्री भोसकर विलास संदिपान, सदस्य सचिव, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति

श्री धीरेन्द्र शर्मा द्वारा विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की अध्यक्षता की गई। समिति द्वारा एजेन्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया:-

एजेन्डा आयटम क्रमांक-1: दिनांक 14/05/2020 को संपन्न 320वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 320वीं बैठक दिनांक 14/05/2020 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

1. मेसर्स श्री नवीन कुमार जैन फ्लेग स्टोन, ग्राम-अर्जुनी, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 995)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 42463 / 2019, दिनांक 01 / 11 / 2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 21 / 11 / 2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 05 / 02 / 2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-अर्जुनी, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 345 / 2, 352 / 1,2,5, 353 / 1,3, 384 / 2 एवं 382 / 5, कुल क्षेत्रफल - 2.38 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 40,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 317वीं बैठक दिनांक 29 / 02 / 2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01 / 05 / 2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी, छ.ग. के ज्ञापन दिनांक 08 / 05 / 2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 321वीं बैठक दिनांक 15 / 05 / 2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नवीन कुमार जैन, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत अर्जुनी का दिनांक 05 / 10 / 2012 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** - क्वारी प्लान एलांगविथ इनव्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक /क./ख.लि./तीन-6 / 2017 / 997 रायपुर, दिनांक 13 / 11 / 2017 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक /3076/ख.लि.02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 29/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 4 खदानें, क्षेत्रफल 5.44 हेक्टेयर है।
4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक /3076/ख.लि.02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 29/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. **लीज का विवरण** – लीज श्री नवीन कुमार जैन के नाम पर है, जिसकी अवधि दिनांक 03/03/2014 से 02/03/2044 तक की अवधि हेतु वैध है।
6. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक /मा.चि./न.कं. 10-1/2020/935 राजनांदगांव, दिनांक 24/01/2020 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित भूमि वन क्षेत्र की सीमा से 7 कि.मी. की दूरी पर है।
8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-अर्जुनी 0.3 कि.मी., स्कूल/अस्पताल ग्राम-अर्जुनी 0.3 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 0.2 कि.मी. दूर है।
9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
10. **जियोलॉजिकल रिजर्व** लगभग 3,80,800 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 2,28,048 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (2,850 वर्गमीटर) होता है। लीज क्षेत्र में क्रशर 0.50 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। ओव्हरबर्डन को माईन बाउण्ड्री में डम्प किया जाता है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 6 वर्ष है। जैक हैमर ड्रिल का उपयोग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	8,333	3	25,000	40,000
द्वितीय	8,333	3	25,000	40,000
तृतीय	8,333	3	25,000	40,000
चतुर्थ	8,333	3	25,000	40,000
पंचम	8,333	3	25,000	40,000

11. जल की आपूर्ति समीपस्थ छोड़े हुए माईन पिट (Abandoned mine pit) से की जाती है। खदान एवं क्रशर में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है।
12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 2,100 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। लीज की सीमा (7.5 मीटर चौड़ी) क्षेत्र में उत्खनन का कार्य किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस क्षेत्र में ओव्हरबर्डन से भराव कर रोपण का कार्य जनवरी, 2021 से पूर्व किया जाएगा।
13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण –**
- पूर्व में खदान खसरा क्रमांक 345/2, 352/1,2,5, 353/1,3, 384/2 एवं 382/5, कुल क्षेत्रफल – 2.379 हेक्टेयर, क्षमता – 25,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (40,000 टन प्रतिवर्ष) हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण राजनांदगांव द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 29/01/2018 को जारी किया गया, जो कि दिनांक 31/03/2020 तक थी।
 - पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
 - कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/458/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 18/02/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रमांक	अवधि	उत्पादन (घनमीटर)
1	2014-15	3457
2	2015-16	4,890
3	2016-17	निल
4	2017-18	10,519
5	2018-19	22,500
6	2019-20	14,000

14. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-
- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक /3076/ख.लि.02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 29/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 4 खदानें, कुल क्षेत्रफल 5.44 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-अर्जुनी) का रकबा 2.38 हेक्टेयर है। इस

प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-अर्जुनी) को मिलाकर कुल रकबा 7.82 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-
 - i. Project Proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & mined out area, calculation of mined out area and an action plan for complete plantation before January, 2021.
 - ii. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
 - iii. Project Proponent shall submit the Common Environment Management Plan.
 - iv. Project proponent has submitted that source of water for dust suppression is through adjacent abandoned mine pit. In this regard, project proponent shall submit agreement copy for usage of water.
 - v. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.
 - vi. Project Proponent shall submit NOC from DGMS for blasting.
 - vii. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. **मेसर्स श्री अभय कुमार जैन फ्लेग स्टोन, ग्राम-अर्जुनी, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 996)**

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 43973/2016, दिनांक 01/11/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 21/11/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 05/02/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-अर्जुनी, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 379/2, 380/1, कुल क्षेत्रफल - 1.286 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 8,256 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 317वीं बैठक दिनांक 29/02/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी, छ.ग. के ज्ञापन दिनांक 08/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 321वीं बैठक दिनांक 15/05/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अभय कुमार जैन उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत अर्जुनी का दिनांक 08/04/2012 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान (क्वारी प्लान कम इनव्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क./ख.लि./तीन-6/2016/652 रायपुर, दिनांक 14/03/2016 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2823/ख.लि.03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 08/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 4 खदानें, कुल क्षेत्रफल 6.54 हेक्टेयर है।
4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2823/ख.लि.03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 08/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. **लीज का विवरण** – लीज श्री अभय कुमार जैन के नाम पर है, जिसकी अवधि दिनांक 18/04/2012 से 17/04/2042 तक की अवधि हेतु वैध है।
6. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्र./मा.चि./न.क्र.

10-1/2020/922 राजनांदगांव, दिनांक 24/01/2020 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 7.65 कि.मी. की दूरी पर है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-अर्जुनी 0.3 कि.मी., स्कूल एवं अस्पताल ग्राम-अर्जुनी 0.3 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 0.2 कि.मी. दूर है।
9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
10. **जियोलॉजिकल रिजर्व** लगभग 1,64,608 टन, **माईनेबल रिजर्व** 88,350 टन एवं **रिकव्हेरेबल रिजर्व** 79,520 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (4,170 वर्गमीटर) क्षेत्र होता है। लीज क्षेत्र में क्रशर 0.025 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित है। उक्त क्रशर को डिसमेंटल किया जाना प्रस्तावित है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। ओव्हरबर्डन को माईन बाउण्ड्री में डम्प किया जाता है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1231	4	4924	7878
द्वितीय	1290	4	5160	8256
तृतीय	1174	4	4696	7514
चतुर्थ	1180	4	4720	7552
पंचम	1210	4	4840	7744
षष्ठम	1220	4	4880	7808
सप्तम	1235	4	4940	7904

11. जल की आपूर्ति समीपस्थ छोड़े हुए माईन पिट (Abandoned mine pit) से की जाती है। खदान एवं क्रशर में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है।
12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। लीज की सीमा (7.5 मीटर चौड़ी) के कुछ क्षेत्र में उत्खनन का कार्य किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस क्षेत्र में ओव्हरबर्डन से भराव कर रोपण का कार्य जनवरी, 2021 से पूर्व किया जाएगा।
13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण –**
 - i. पूर्व में खदान खसरा क्रमांक 379/2 एवं 380/1, कुल क्षेत्रफल – 1.286 हेक्टेयर, क्षमता – 8,256 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण राजनांदगांव द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 06/09/2016 के द्वारा जारी दिनांक से दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी किया गया है।

- ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/428/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 13/02/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रमांक	अवधि	उत्पादन (घनमीटर)
1	2012 से 2015	निल
2	2016	100
3	2017	1,450
4	2018	1,785
5	2019	945

14. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2823/ख.लि.03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 08/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 4 खदानें, कुल क्षेत्रफल 6.54 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-अर्जुनी) का रकबा 1.286 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-अर्जुनी) को मिलाकर कुल रकबा 7.826 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. / ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

- i. Project Proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & mined out area, calculation of mined out area and an action plan for complete plantation before January, 2021.
- ii. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- iii. Project Proponent shall submit the Common Environment Management Plan.
- iv. Project proponent has submitted that source of water for dust suppression is through adjacent abandoned mine pit. In this regard, project proponent shall submit agreement copy for usage of water.
- v. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.
- vi. Project Proponent shall submit NOC from DGMS for blasting.
- vii. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स श्रीमती शशिकला गुप्ता (चवेली लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम-चवेली, तहसील व जिला राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 986)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 43867 / 2019, दिनांक 25 / 10 / 2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 19 / 11 / 2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 08 / 02 / 2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-चवेली, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 391 / 2, कुल क्षेत्रफल – 1.008 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 11,438 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 317वीं बैठक दिनांक 29 / 02 / 2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01 / 05 / 2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

- परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी, छ.ग. के ज्ञापन दिनांक 08/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 321वीं बैठक दिनांक 15/05/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सर्वेष गुप्ता, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:—

- ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** — उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत खपरीखुर्द का दिनांक 27/01/2013 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- उत्खनन योजना** — माईनिंग प्लान (क्वारी प्लान विथ क्वारी क्लोजर एवं इनव्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि. प्रशा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क./ख.लि./तीन-6/2016/88 रायपुर, दिनांक 13/01/2016 द्वारा अनुमोदित है।
- 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** — कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2567/ख.लि.02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 18/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 6 खदानें, क्षेत्रफल 7.15 हेक्टेयर है।
- 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ** — कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2567/ख.लि.02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 18/10/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
- लीज का विवरण** — लीज श्रीमती शशिकला गुप्ता के नाम पर है, जिसकी अवधि 10 वर्ष अर्थात् दिनांक 26/02/2015 से 25/02/2025 तक की अवधि हेतु वैध है।
- डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** — डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
- वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** — कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्र./मा.चि./न.क्र. 10-1/2020/1429 राजनांदगांव, दिनांक 07/02/2020 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 7 कि.मी. की दूरी पर है।
- महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** — निकटतम आबादी ग्राम-चवेली 0.6 कि.मी., स्कूल ग्राम-राजनांदगांव 2 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम-ठेलकाडीह 1.5 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 14 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 0.55 कि.मी. दूर है।
- पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** — परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित

क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 2,52,000 टन, माईनेबल रिजर्व 1,81,590 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,63,431 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (4,410 वर्गमीटर) क्षेत्र होता है। ओपन कास्ट सेमीमेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। वर्तमान में 6 मीटर तक उत्खनन किया जा चुका है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। ओव्हरबर्डन को माईन बाउण्ड्री में डम्प किया जाता है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 20 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,080	1.5	1,620	4,050
द्वितीय	1,540	1.5	2,310	5,775
तृतीय	2,030	1.5	3,045	7,613
चतुर्थ	2,550	1.5	3,825	9,563
पंचम	3,050	1.5	4,575	11,438

11. जल की आपूर्ति समीपस्थ छोड़े हुए माईन पिट (Abandoned mine pit) से की जाती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है।
12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,100 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। लीज की सीमा (7.5 मीटर चौड़ी) क्षेत्र में उत्खनन का कार्य किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस क्षेत्र में ओव्हरबर्डन से भराव कर रोपण का कार्य जनवरी, 2021 से पूर्व किया जाएगा।
13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

- पूर्व में खदान खसरा क्रमांक 391/2, कुल क्षेत्रफल – 1.008 हेक्टेयर है, क्षमता – 11,438 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-राजनांदगांव द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 06/09/2016 के द्वारा जारी दिनांक से दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी किया गया है।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/419/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 12/02/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रमांक	वर्ष	उत्पादन(टन)
1	2015-16	3,600
2	2016-17	6,240
3	2017-18	7,600
4	2018-19	9,500

5	2019-20	11,400
---	---------	--------

14. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:—

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन के ज्ञापन क्रमांक/2567/ख.लि.02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 18/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 6 खदानें, क्षेत्रफल 7.15 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-चवेली) को मिलाकर कुल रकबा 8.158 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:—

- i. Project Proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & mined out area, calculation of mined out area and an action plan for complete plantation before January, 2021.
- ii. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- iii. Project Proponent shall submit the Common Environment Management Plan.
- iv. Project proponent has submitted that source of water for dust suppression is through adjacent abandoned mine pit. In this regard, project proponent shall submit agreement copy for usage of water.
- v. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.
- vi. Project Proponent shall submit NOC from DGMS for blasting.
- vii. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स देवीपुर आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.— श्री आनंद कुमार सिंघल), ग्राम—देवीपुर, तहसील व जिला—सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1169)

ऑनलाईन आवेदन — प्रपोजल नम्बर — एसआईए / सीजी / एमआईएन / 142690 / 2020, दिनांक 12 / 02 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण — यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम—देवीपुर, तहसील व जिला—सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 1517, कुल क्षेत्रफल — 0.753 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता — 10,338.96 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 317वीं बैठक दिनांक 29 / 02 / 2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (अद्यतन) प्रस्तुत किया जाए।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01 / 05 / 2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी, छ.ग. के ज्ञापन दिनांक 08 / 05 / 2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 321वीं बैठक दिनांक 15 / 05 / 2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनोज जगत, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:—

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** — उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत देवीपुर का दिनांक 26 / 07 / 2008 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** — माईनिंग प्लान (क्वारी प्लान, इनव्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एवं क्वॉरी क्लोजर प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी,

जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/1406/खनिज/ख.लि.2/2016 कोरिया, दिनांक 28/09/2016 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/3226/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 24/01/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, कुल क्षेत्रफल 3.52 हेक्टेयर है।
4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 3225/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 24/01/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. **लीज का विवरण** – लीज श्री आनंद कुमार सिंघल के नाम पर है, जिसकी अवधि 10 वर्ष अर्थात् दिनांक 02/01/2009 से 01/01/2019 तक की अवधि हेतु वैध था। तत्पश्चात् लीज डीड का नवीनीकरण किया गया है। वर्तमान में दिनांक 01/01/2039 तक की अवधि हेतु वैध है।
6. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सरगुजा वनमण्डल, जिला-अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक /मा.चि./3576/2008 अम्बिकापुर, दिनांक 23/10/2008 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा में अभयारण्य/टाईगर रिजर्व/राष्ट्रीय उद्यान नहीं है।
8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-देवीपुर 0.5 कि.मी., स्कूल ग्राम-देवीपुर 2.2 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम-सूरजपुर 2.5 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.3 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 18.2 कि.मी. दूर है। रेहर नदी 5.3 कि.मी. दूर है।
9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
10. **जियोलॉजिकल रिजर्व** लगभग 3,55,792 टन, माईनेबल रिजर्व 1,10,781 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 99,703 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (2,700 वर्गमीटर) क्षेत्र होता है। ओपन कास्ट सेमीमेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 2,415 घनमीटर एवं मोटई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:—

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	9,976

द्वितीय	9,973
तृतीय	9,972
चतुर्थ	9,988
पंचम	9,972
षष्ठम	9,970
सप्तम	9,972
अष्टम	10,339
नवम	9,970
दशम	9,572

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंको का राउण्डऑफ किया गया है।

11. परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत से टैंकर के माध्यम से किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है।
12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 700 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 200 नग वृक्षारोपण किया गया है।
13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**
 - i. पूर्व में खदान खसरा क्रमांक 1517, कुल क्षेत्रफल – 0.753 हेक्टेयर है, क्षमता – 3,892.2 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-सूरजपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 13/02/2017 के द्वारा जारी दिनांक से दिनांक 12/02/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।
 - ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
 - iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
 - iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-सूरजपुर के प्रमाण पत्र द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रमांक	वर्ष	उत्पादन(घनमीटर)
1	2009	0
2	2010	1,170
3	2011	840
4	2012	1,304
5	2013	651
6	2014	210
7	2015	70
8	2016	18
9	2017	3,675
10	2018	3,600
11	2019	3,600

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि अनुमोदित माइनिंग प्लान में जियोलॉजिकल रिजर्व 3,55,792 टन, रिकवरेबल रिजर्व 99,703 टन एवं ऊपरी

मिट्टी 2,415 घनमीटर थी। माईनिंग प्लान के अनुमोदन के पूर्व उत्पादन खदान सतह के उपर उपस्थित आउट क्रॉप को निकालकर किया गया था। तत्पश्चात् 2016 से उत्खनन योजना अनुसार 29,362.5 टन का उत्खनन किया गया है। अतः वर्तमान में रिकवरेबल रिजर्व 70,340 टन शेष है।

15. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:—
- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.
16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40.87	2%	0.82	Following activities at Govt. Primary School Palpapur	
			Village- Devipur	
			Rain Water Harvesting System	1.04
			Potable Drinking Water	0.25
			Running Water Arrangement	0.10
			Plantation	0.10
			Books Distribution related to Environment Conservation	0.05
Total	1.54			

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/3226/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 24/01/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, कुल क्षेत्रफल 3.52

हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-देवीपुर) का रकबा 0.753 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-देवीपुर) को मिलाकर कुल रकबा 4.273 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

- समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से ग्राम-देवीपुर, तहसील व जिला-सूरजपुर के खसरा क्रमांक 1517 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल - 0.753 हेक्टेयर, क्षमता - 10,338 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट-01** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

- मेसर्स श्री शिव अग्रवाल लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.-श्री शिव अग्रवाल), ग्राम-डुमरडीहकला, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 998)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 43582 / 2019, दिनांक 02 / 11 / 2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 30 / 11 / 2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 12 / 02 / 2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-डुमरडीहकला, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 125, कुल क्षेत्रफल - 0.526 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 12,750 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 317वीं बैठक दिनांक 29 / 02 / 2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित समस्त खदानों (जिसमें वर्ष 2013 के पूर्व की भी खदानों का उल्लेख हो) संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

4. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 321वीं बैठक दिनांक 15/05/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शिव अग्रवाल, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:—

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** — उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत डुमरडीहकला का दिनांक 26/12/1996 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** — माईनिंग प्लान (क्वारी प्लान विथ क्वारी क्लोजर एवं इनव्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि. प्रशा.), जिला—रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क./ख.लि./तीन-6/2016/697 रायपुर, दिनांक 22/03/2016 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2839/ख.लि.03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 11/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 14 खदानें, क्षेत्रफल 14.08 हेक्टेयर है।
4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ** — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2839/ख.लि.03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 11/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. **लीज का विवरण** — पूर्व में लीज श्री मनीष अग्रवाल के नाम पर थी, लीज का हस्तांतरण दिनांक 07/11/2014 को श्री शिव अग्रवाल के नाम पर किया गया, जो दिनांक 02/01/2028 तक वैध है।
6. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** — डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** — कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला—राजनांदगांव के ज्ञापन क्र./मा.चि./न.क्र. 10-1/2020/1588 राजनांदगांव, दिनांक 12/02/2020 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 8 कि.मी. की दूरी पर है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-टेलकाडीह 0.55 कि.मी. , अस्पताल ग्राम-टेलकाडीह 0.85 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 0.41 कि.मी. दूर है।
9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
10. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 2,63,000 टन, माईनेबल रिजर्व 1,15,362.5 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,03,826.25 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (2325 वर्गमीटर) क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	750	1.5	1,125	2,812
द्वितीय	1,450	1.5	2,175	5,437
तृतीय	2,150	1.5	3,225	8,062
चतुर्थ	2,850	1.5	4,275	10,687
पंचम	3,400	1.5	5,100	12,750

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंको का राउण्डऑफ किया गया है।

11. जल की आपूर्ति समीपस्थ छोड़े हुए माईन पिट (Abandoned mine pit) से की जाती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है।
12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 575 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। लीज की सीमा (7.5 मीटर चौड़ी) क्षेत्र में उत्खनन का कार्य किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस क्षेत्र में ओव्हरबर्डन से भराव कर रोपण का कार्य जनवरी, 2021 से पूर्व किया जाएगा।
13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**
 - i. पूर्व में खदान पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 125, कुल क्षेत्रफल – 0.526 हेक्टेयर, क्षमता – 12,750 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण राजनांदगांव द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 10/01/2017 के द्वारा जारी दिनांक से दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी किया गया है।
 - ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
 - iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
 - iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/500/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 24/02/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन(टन)	वर्ष	उत्पादन(टन)
1998 – 99	85	2009–10	950
1999–2000	155	2010–11	965
2000–01	235	2011–12	1,260
2001–02	1,145	2012–13	1,020
2002–03	3,820	2013–14	2,540
2003–04	1,307	2014–15	5,625
2004–05	170	2015–16	10,150
2005–06	110	2016–17	3,450
2006–07	140	2017–18	5,375
2007–08	140	2018–19	2,950
2008–09	300		

14. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:—

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

- कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला—राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2839/ख.लि.03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 11/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 14 खदानें, क्षेत्रफल 14.08 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम—डुमरडीहकला) को मिलाकर कुल रकबा 14.606 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।
- समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:—
 - Project Proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & mined out area, calculation of mined out area and an action plan for complete plantation before January, 2021.
 - Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

- iii. Project Proponent shall submit the Common Environment Management Plan.
- iv. Project proponent has submitted that source of water for dust suppression is through adjacent abandoned mine pit. In this regard, project proponent shall submit agreement copy for usage of water.
- v. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.
- vi. Project Proponent shall submit NOC from DGMS for blasting.
- vii. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स परना लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री संजय कुमार ठाकुर), ग्राम-परना, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1022)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 44447 /2018, दिनांक 16 / 11 / 2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 30 / 11 / 2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 12 / 02 / 2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-परना, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 6 / 1(पार्ट), 6 / 2(पार्ट), 6 / 3(पार्ट), 6 / 5, 6 / 6(पार्ट), 7(पार्ट), कुल क्षेत्रफल – 1.224 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 10,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 317वीं बैठक दिनांक 29 / 02 / 2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित समस्त खदानों (जिसमें वर्ष 2013 के पूर्व की भी खदानों का उल्लेख हो) संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
4. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 321वीं बैठक दिनांक 15/05/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजय कुमार ठाकुर, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:—

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** — उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत परना का दिनांक 04/12/2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** — क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि. प्रशा.), जिला—रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क./ख.लि./तीन-6/2018/1636 रायपुर, दिनांक 09/02/2018 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/201/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 24/01/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 2 खदानें, क्षेत्रफल 2.02 हेक्टेयर है।
4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ** — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/201/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 24/01/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. **लीज का विवरण** — लीज श्री संजय कुमार ठाकुर के नाम पर है, जिसकी अवधि 30 वर्ष (दिनांक 04/04/2018 से 03/04/2048) तक वैध है। भूमि श्री रविन्द्र कुमार के नाम पर है। उत्खनन हेतु सहमति प्राप्त की गई है।
6. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** — डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** — कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला—राजनांदगांव के ज्ञापन क्र./मा.चि./न.क्र. 10-1/2020/1564 राजनांदगांव, दिनांक 11/02/2020 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 9 कि.मी. की दूरी पर है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-खुर्सीपार 1.5 कि.मी., स्कूल एवं अस्पताल ग्राम-खुर्सीपार 1.5 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 6 कि.मी. दूर है।
9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
10. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 3,67,200 टन, माईनेबल रिजर्व 1,24,812 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,18,572 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (3,765 वर्गमीटर) क्षेत्र होता है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 2 मीटर है। खदान की संभावित आयु 12 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1667	3	5,000	10,000
द्वितीय	1667	3	5,000	10,000
तृतीय	1667	3	5,000	10,000
चतुर्थ	1667	3	5,000	10,000
पंचम	1667	3	5,000	10,000

11. जल की आपूर्ति समीपस्थ छोड़े हुए माईन पिट (Abandoned mine pit) से की जाती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है।
12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 900 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। लीज की सीमा (7.5 मीटर चौड़ी) क्षेत्र में उत्खनन का कार्य नहीं किया गया है।
13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**
 - i. पूर्व में खदान खसरा क्रमांक 6/1 का भाग, 6/2 का भाग, 6/3 का भाग, 6/5, 6/6 का भाग एवं 7 का भाग कुल क्षेत्रफल 1.224 हेक्टेयर, क्षमता-10,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-राजनांदगांव द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 14/03/2018 के द्वारा जारी दिनांक से दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी किया गया है।
 - ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
 - iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
 - iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/493/ख.लि.03 2020 राजनांदगांव, दिनांक 19/02/2020 के अनुसार वर्ष 2018-19 में 9,603 टन एवं 2019-20 (दिसंबर तक) में 1,115 टन उत्खनन किया गया है।

14. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:—
- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.
15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
35	2%	0.70	Following activities at Near by Govt. School Village-khursipar	
			Rain Water Harvesting System	0.50
			Plantation	0.20
			Total	0.70

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/201/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 24/01/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 2 खदानें, क्षेत्रफल 2.028 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-परना) का रकबा 1.224 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-परना) को मिलाकर कुल रकबा 3.252 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
- समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से ग्राम-परना, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव के खसरा क्रमांक 6/1(पार्ट), 6/2(पार्ट), 6/3(पार्ट), 6/5, 6/6(पार्ट), 7(पार्ट) में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल –

1.224 हेक्टेयर, क्षमता – 10,000 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट-02** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स भारत बिल्डर्स (प्रो.- श्रीमती शांति देवी), ग्राम-परना, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1089)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 134331/2019, दिनांक 31/12/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 09/01/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 12/02/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-परना, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 34/3,4,5,6, कुल क्षेत्रफल – 0.688 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 14,400 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 317वीं बैठक दिनांक 29/02/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी, छ.ग. के ज्ञापन दिनांक 08/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 321वीं बैठक दिनांक 15/05/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आदित्य जैन, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत खुर्सीपार का दिनांक 14/12/2005 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि. प्रशा.), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क्र/1174/ख.लि./तीन-6/2019, दिनांक 23/08/2019 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/845/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 15/05/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 2.564 हेक्टेयर है।
4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/159/ख.लि.03 /2020 राजनांदगांव, दिनांक 20/01/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. **लीज का विवरण** – लीज श्रीमती शांति जैन के नाम पर है, जिसकी अवधि 10 वर्ष अर्थात् दिनांक 19/05/2006 से 18/05/2016 तक की अवधि हेतु वैध था। तत्पश्चात् लीज डीड का नवीनीकरण कर, दिनांक 19/05/2016 से 18/05/2036 तक है।
6. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./न.क्रं. 10-1/2020/1566 राजनांदगांव, दिनांक 16/02/2020 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 9 कि.मी. की दूरी पर है।
8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-पिनकापार 1.5 कि.मी. , स्कूल एवं अस्पताल ग्राम-पिनकापार 1.5 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 13 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 12 कि.मी. दूर है।
9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
10. **जियोलॉजिकल रिजर्व** लगभग 2,06,400 टन, **माईनेबल रिजर्व** 31,095 टन एवं **रिकव्हेरेबल रिजर्व** 27,080 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (2493 वर्गमीटर) क्षेत्र होता है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 6 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	834	3	2,500	5,000
द्वितीय	834	3	2,500	5,000
तृतीय	834	3	2,500	5,000
चतुर्थ	834	3	2,500	5,000
पंचम	834	3	2,500	5,000

11. जल की आपूर्ति समीपस्थ छोड़े हुए माईन पिट (Abandoned mine pit) से की जाती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है।
12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 650 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। लीज की सीमा (7.5 मीटर चौड़ी) क्षेत्र में उत्खनन का कार्य किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस क्षेत्र में ओवरबर्डन से भराव कर रोपण का कार्य 3 माह से पूर्व किया जाएगा।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

- पूर्व में खदान खसरा क्रमांक 34/3,4,5,6 कुल क्षेत्रफल 0.688 हेक्टेयर, क्षमता-14,400 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-राजनांदगांव द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 14/03/2018 के द्वारा जारी दिनांक से दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी किया गया है।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/286/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 04/02/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)	वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2006-07	200	2013-14	0
2007-08	300	2014-15	205
2008-09	300	2015-16	3,040
2009-10	260	2016-17	0
2010-11	90	2017-18	0
2011-12	0	2018-19	6,812
2012-13	0	2019-20	2,687

14. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
20	2%	0.40	Following activities at Near by Govt. School Village- Parna	
			Rain Water Harvesting System	0.40
			Plantation	
			Total	0.40

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/845/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 15/05/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 2.564 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम—परना) का रकबा 0.688 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम—परना) को मिलाकर कुल रकबा 3.232 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
- खदान की सीमा (7.5 मीटर चौड़ी) में पूर्व से उत्खनित क्षेत्र ओव्हरबर्डन से भरकर वृक्षारोपण का कार्य प्राथमिता से 3 माह के पूर्व किया जाए। निर्धारित समयावधि में उक्त कार्य पूर्ण नहीं किए जाने की स्थिति पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी, जिसमें पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्तीकरण भी शामिल है।
- समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से ग्राम—परना, तहसील—डोंगरगांव, जिला—राजनांदगांव के खसरा क्रमांक 34/3,4,5,6 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल — 0.688 हेक्टेयर, क्षमता — 14,400 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट-03** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

- मेसर्स निपुण माईन्स एवं मिनरल्स (प्रो.—श्री राजन जायसवाल), ग्राम—खुरसुल, तहसील व जिला—दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1157)

ऑनलाईन आवेदन — प्रपोजल नम्बर — एसआईए / सीजी / एमआईएन / 50281/2020, दिनांक 31/01/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 07/02/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत

करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 12/02/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित क्वार्टजाइट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-खुरसुल, तहसील व जिला-दुर्ग स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 243, कुल क्षेत्रफल – 4.32 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 87,220 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 317वीं बैठक दिनांक 29/02/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:—

1. यदि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संचालित हो, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी, छ.ग. के ज्ञापन दिनांक 08/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 321वीं बैठक दिनांक 15/05/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रिंस जायसवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:—

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत खुरसुल का दिनांक 10/12/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख. प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1507/जियो./क्वारी स्कीम/प्लॉन न. 42/2019 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 11/10/2019 द्वारा अनुमोदित है। लीज क्षेत्र से वन भूमि की सीमा 160 मीटर है। अतः वन भूमि की सीमा से न्यूनतम 250 मीटर की दूरी को रखे जाने के लिए 1.32 हेक्टेयर क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर, उत्खनन योजना 3 हेक्टेयर भूमि में उत्खनन हेतु अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/1615/खनि.लि.02/खनिज/2019 दुर्ग, दिनांक

08/01/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 3.56 हेक्टेयर है।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/1615/खनि.लि. 02/खनिज/2019 दुर्ग, दिनांक 08/01/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. **लीज का विवरण** – भूमि श्रीमती रितु जायसवाल (पार्टनर) के नाम पर है।
6. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्र./मा.चि./2018/3919 दुर्ग, दिनांक 21/08/2018 के अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 0.25 कि.मी. की दूरी को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर, प्रतिबंधात्मक क्षेत्रफल 1.32 हेक्टेयर के पश्चात् शेष लीज क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर पर उत्खनन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है।
8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-खुरसुल 2 कि.मी., स्कूल ग्राम-खुरसुल 2 कि.मी., अस्पताल दुर्ग 13 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7.2 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 11.6 कि.मी. दूर है।
9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
10. **जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 7,29,701 टन, ब्लाकड रिजर्व 3,27,761 टन एवं माईनेबल रिजर्व 4,01,940 टन है।** लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (6,000 वर्गमीटर) क्षेत्र होता है। ओपन कास्ट विधि से उत्खनन किया जाएगा। वर्तमान में 4 मीटर गहराई तक उत्खनन किया गया है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8.5 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 15,635 घनमीटर एवं मोटाई 1 मीटर है। ओव्हरबर्डन को माईन बाउण्ड्री में डम्प किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
2019-20	87,220
2020-21	70,560
2021-22	86,240
2022-23	64,680
2023-24	57,680

11. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन (ड्रिलिंग एवं डस्ट सप्रेसन में 3 घनमीटर प्रतिदिन, वृक्षारोपण में 2 घनमीटर प्रतिदिन तथा घरेलु उपयोग हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन) होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है।
12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी एवं प्रतिबंधित क्षेत्र 1.32 हेक्टेयर में 1,400 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**
 - i. पूर्व में खदान पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 243, कुल क्षेत्रफल – 4.32 हेक्टेयर, क्षमता – 22,536 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 21/02/2017 को दिनांक 28/07/2055 तक की अवधि हेतु जारी की गई है।
 - ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
 - iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
 - iv. विगत वर्षों के उत्पादन आंकड़ों की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
14. प्रकरण क्षमता विस्तार का है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन मंगाया जाना आवश्यक है।
15. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-
 - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/1615/खनि.लि. 02/खनिज/2019 दुर्ग, दिनांक 08/01/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 3.56 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-खुरसुल) को मिलाकर कुल रकबा 7.88 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए.

/ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

- i. Project Proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery and an action plan for complete plantation before January, 2021.
- ii. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- iii. Project Proponent shall submit the Common Environment Management Plan.
- iv. Project proponent shall submit NOC copy of CGWA for usage of ground water.
- v. Project proponent shall submit certificate of previous year production detail (at the start of the mining activity) from mining department.
- vi. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.
- vii. Project Proponent shall submit compliance statement of previous Environment Clearance from Regional Office, MoEF&CC, Nagpur.
- viii. Project Proponent shall submit NOC from DGMS for blasting.
- ix. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स चवेली लाईम स्टोन माईन, (प्रो.- गिरधारी लाल तलरेजा), ग्राम-चवेली, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 969)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 43944 / 2019, दिनांक 02 / 10 / 2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 14 / 10 / 2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 13 / 02 / 2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-चवेली, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 360, कुल क्षेत्रफल - 0.87 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 15,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 317वीं बैठक दिनांक 29 / 02 / 2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी, छ.ग. के ज्ञापन दिनांक 08/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 321वीं बैठक दिनांक 15/05/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गिरधारी लाल तलरेजा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:—

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** — उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत खपरीखुर्द का दिनांक 15/12/2014 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** — क्वारी प्लान विथ इनव्हायरोमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संचालक (खनि. प्रशा.), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क/342/ख.लि./तीन-6/2019 रायपुर, दिनांक 04/05/2019 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** — कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक /2518/ख.लि.02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 15/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 9 खदानें, क्षेत्रफल 10.51 हेक्टेयर है।
4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ** — कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक /2518/ख.लि.02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 15/10/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. **लीज का विवरण** — लीज श्री गिरधारी लाल तलरेजा के नाम पर है, जिसकी अवधि दिनांक 16/01/1995 से दिनांक 15/01/2025 तक वैध है।
6. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** — डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** — कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्र./मा.चि./न.क्र.

10-1/2020/1281 राजनांदगांव, दिनांक 05/02/2020 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 8 कि.मी. की दूरी पर है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-चवेली 0.75 कि.मी, स्कूल एवं अस्पताल ग्राम-ढेलकाडीह 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 14 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 0.2 कि.मी. दूर है।
9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
10. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 5,87,250 टन, माईनेबल रिजर्व 3,59,895 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 80,900 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (2,848 वर्गमीटर) क्षेत्र होता है। ओपन कास्ट सेमीमेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 27 मीटर है। वर्तमान में 14 मीटर गहराई तक उत्खनन किया गया है। ओवरबर्डन को माईन बाउण्ड्री में डम्प किया जाता है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 2 मीटर है। खदान की संभावित आयु 6 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:—

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	2000	3	6000	15000
द्वितीय	2000	3	6000	15000
तृतीय	2000	3	6000	15000
चतुर्थ	2000	3	6000	15000
पंचम	2000	3	6000	15000

11. जल की आपूर्ति समीपस्थ छोड़े हुए माईन पीट (Abandoned mine pit) से की जाती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है।
12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 700 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। लीज की सीमा (7.5 मीटर चौड़ी) क्षेत्र में उत्खनन का कार्य किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस क्षेत्र में ओवरबर्डन से भराव कर रोपण का कार्य जनवरी, 2021 से पूर्व किया जाएगा।
13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:—**
 - i. पूर्व में खदान खसरा क्रमांक 360, कुल क्षेत्रफल – 0.87 हेक्टेयर है, क्षमता – 15,448.49 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-राजनांदगांव द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 10/11/2016 के द्वारा जारी दिनांक से दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी किया गया है।
 - ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
 - iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/340/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 06/02/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन(टन)	वर्ष	उत्पादन(टन)
1995	180	2008	10300
1996	240	2009	7700
1997	0	2010	20200
1998	0	2011	9500
1999	225	2012	13100
2000	230	2013	20700
2001	245	2014	21000
2002	2270	2015	48200
2003	3962	2016	7200
2004	1160	2017	2790
2005	1659	2018	13200
2006	3010	2019	5700
2007	10300		

14. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2839/ख.लि.03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 11/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 14 खदानें, क्षेत्रफल 14.08 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-डुमरडीहकला) को मिलाकर कुल रकबा 14.606 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।
- समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. / ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर

(लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

- i. Project Proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & mined out area, calculation of mined out area and an action plan for complete plantation before January, 2021.
- ii. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- iii. Project Proponent shall submit the Common Environment Management Plan.
- iv. Project proponent has submitted that source of water for dust suppression is through adjacent abandoned mine pit. In this regard, project proponent shall submit agreement copy for usage of water.
- v. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.
- vi. Project Proponent shall submit NOC from DGMS for blasting.
- vii. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स श्री विजय अग्रवाल लाईम स्टोन क्वारी, ग्राम-डुमरडीहकला, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1007)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 43982 / 2017, दिनांक 07 / 11 / 2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 30 / 11 / 2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 14 / 02 / 2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-डुमरडीहकला, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 103 / 5, कुल क्षेत्रफल – 0.48 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 18,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 317वीं बैठक दिनांक 29 / 02 / 2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित समस्त खदानों (जिसमें वर्ष 2013 के पूर्व की भी खदानों का उल्लेख हो) संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल,

बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए।

3. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
4. भू-स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी, छ.ग. के ज्ञापन दिनांक 08/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 321वीं बैठक दिनांक 15/05/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नीतिश अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:—

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** — उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत डुमरडीहकला का दिनांक 31/07/2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** — क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि. प्रशा.), जिला—रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क/ख.लि./तीन-6/2016/674 रायपुर, दिनांक 17/03/2016 द्वारा अनुमोदित है। यह क्वॉरी प्लान 0.728 हेक्टेयर की खदान के लिए है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** — कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला—राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2802/ख.लि.03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 07/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 10 खदानें, क्षेत्रफल 10.07 हेक्टेयर है।
4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ** — न्यायालय नायब तहसीलदार (धुमका-2), जिला—राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 4048 दिनांक 01/10/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. **लीज का विवरण** — लीज श्री विजय अग्रवाल के नाम पर है, जिसकी अवधि दिनांक 06/06/2012 से 05/06/2017 तक की अवधि हेतु क्षेत्रफल 0.728 हेक्टेयर में स्वीकृत थी। तत्पश्चात् लीज नवीनीकरण के आवेदन के समय सड़क से न्यूनतम 50 मीटर की दूरी छोड़े जाने के कारण लीज की वैधता वृद्धि दिनांक 06/10/2017 द्वारा 0.48 हेक्टेयर हेतु दिनांक 05/06/2037 तक की गई है।
6. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** — डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्र./मा.चि./न.क्रं. 10-1/2020/1627 राजनांदगांव, दिनांक 13/02/2020 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 8 कि.मी. की दूरी पर है।
8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-ढेलकाडीह 1 कि.मी., स्कूल एवं अस्पताल ग्राम-ढेलकाडीह 1 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 20 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3 कि.मी. दूर है।
9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
10. वर्तमान में प्रस्तुत माईनिंग प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 2,73,000 टन, माईनेबल रिजर्व 1,42,950 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,28,655 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (2,250 वर्गमीटर) क्षेत्र होता है। वर्तमान में स्वीकृत लीज क्षेत्रफल 0.48 हेक्टेयर हेतु संशोधित माईनिंग प्लान तैयार नहीं किया गया है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। ओवरबर्डन को माईन बाउण्ड्री में डम्प किया जाता है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	2,200	1.5	3,300	8,250
द्वितीय	2,700	1.5	4,050	10,125
तृतीय	3,250	1.5	4,875	12,188
चतुर्थ	3,850	1.5	5,775	14,438
पंचम	4,800	1.5	7,200	18,000

11. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति समीपस्थ छोड़े हुए माईन पिट (Abandoned mine pit) से की जाती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है।
12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 550 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। लीज की सीमा (7.5 मीटर चौड़ी) क्षेत्र में उत्खनन का कार्य किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस क्षेत्र में ओवरबर्डन से भराव कर रोपण का कार्य जनवरी, 2021 से पूर्व किया जाएगा।
13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**
 - i. पूर्व में खदान खसरा क्रमांक 103/5, कुल क्षेत्रफल – 0.728 हेक्टेयर है, क्षमता – 18,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण राजनांदगांव द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 09/03/2017 के द्वारा जारी दिनांक से दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी किया गया है।

- ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/824/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 12/05/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	वर्ष	उत्पादन(टन)
1	2008-09	3645
2	2009-10	3250
3	2010-11	2025.5
4	2011-12	2060
5	2012-13	2270
6	2013-14	6350
7	2014-15	9800
8	2015-16	7200
9	2016-17	5900
10	2017-18	9100
11	2018-19	7300
12	2019-20	5700

14. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-
 - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2802/ख.लि.03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 07/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 10 खदानें, क्षेत्रफल 10.07 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-डुमरडीहकला) को मिलाकर कुल रकबा 10.55 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एकटीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस

अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

- i. Project Proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & mined out area, calculation of mined out area and an action plan for complete plantation before January, 2021.
- ii. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- iii. Project Proponent shall submit the Common Environment Management Plan.
- iv. Project Proponent shall submit amended mining plan for lease area 0.48 hectare.
- v. Project proponent has submitted that source of water for dust suppression is through adjacent abandoned mine pit. In this regard, project proponent shall submit agreement copy for usage of water.
- vi. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.
- vii. Project Proponent shall submit NOC from DGMS for blasting.
- viii. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

11. मेसर्स सोलर रॉक्स (पार्टनर-श्री अनुभव मसीह, मंदिर हसौद लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम-मंदिर हसौद, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1184)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 51175 / 2020, दिनांक 17 / 02 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-मंदिर हसौद, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 661, 666, 667, 668 / 1 एवं 668 / 2, कुल क्षेत्रफल - 1.943 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 1,54,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 317वीं बैठक दिनांक 29 / 02 / 2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
3. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 321वीं बैठक दिनांक 15/05/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अनुभव मसीह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:—

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** — उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मंदिर हसौद का दिनांक 31/10/2012 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** — संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला—रायपुर के ज्ञापन क्रमांक /180-2/ख.लि./उ.प. /2018 रायपुर, दिनांक 26/04/2018 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 2690/ख.लि./तीन-6/2020 रायपुर, दिनांक 13/02/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 9 खदानें, क्षेत्रफल 12.625 हेक्टेयर है तथा एक अन्य खदान 4.048 हेक्टेयर हेतु एल.ओ.आई. जारी किया गया है।
4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ** — न्यायालय नायब तहसीलदार, जिला—राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 2850 दिनांक 06/03/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. **लीज का विवरण** — लीज सोलर रॉक्स पार्टनर श्री अनुभव मसीह के नाम पर है, जिसकी अवधि 10 वर्ष अर्थात् दिनांक 10/01/2014 से 09/01/2024 तक की अवधि हेतु वैध है।
6. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** — डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की नहीं गई है।
7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** — कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, जिला—रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./रा. 315 रायपुर, दिनांक

23/01/2020 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र आरक्षित/संरक्षित वन एवं आरेंज एरिया के अंतर्गत नहीं आता है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-मंदिर हसौद 0.3 कि.मी., स्कूल ग्राम-मंदिर हसौद 0.3 कि.मी., अस्पताल ग्राम-मंदिर हसौद 0.3 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 9 कि.मी. दूर है।
9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
10. **जियोलॉजिकल रिजर्व** लगभग 15,60,838 टन एवं **माईनेबल रिजर्व** 8,48,838 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (1,500 वर्गमीटर) क्षेत्र होता है। ओपन कास्ट मेनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। वर्तमान में 10 मीटर गहराई तक उत्खनन किया गया है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 25 मीटर है। क्रशर लगाया जाना प्रस्तावित नहीं है। ओव्हरबर्डन को माईन बाउण्ड्री में डम्प किया गया है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:—

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
2018-19	1,54,000
2019-20	1,54,000
2020-21	1,54,000
2021-22	1,54,000
2022-23	1,54,000

11. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6.17 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है।
12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,200 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:—**
 - i. पूर्व में खदान खसरा क्रमांक 661, 666, 667 एवं 668/1,2 कुल क्षेत्रफल – 1.943 हेक्टेयर है, क्षमता – 30,400 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 09/09/2016 को जारी किया गया है।
 - ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
 - iii. विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
 - iv. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
14. प्रकरण क्षमता विस्तार का है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन मंगाया जाना आवश्यक है।

15. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:—

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 2690/ख. लि./तीन-6/2020 रायपुर, दिनांक 13/02/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 9 खदानें, क्षेत्रफल 12.625 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम—मंदिर हसौद) को मिलाकर कुल रकबा 14.568 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:—
 - i. Project Proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery and an action plan for complete plantation before January, 2021.
 - ii. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
 - iii. Project Proponent shall submit the Common Environment Management Plan.
 - iv. Project proponent shall submit NOC copy of CGWA for usage of ground water.
 - v. Project proponent shall submit certificate of previous year production detail (at the start of the mining activity) from mining department.
 - vi. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.
 - vii. Project Proponent shall submit compliance statement of previous Environment Clearance from Regional Office, MoEF&CC, Nagpur.
 - viii. Project Proponent shall submit NOC from DGMS for blasting.

- ix. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

12. मेसर्स श्री श्याम अग्रवाल लाईम स्टोन क्वारी, ग्राम—डुमरडीहकला, तहसील व जिला—राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 987)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 43978 / 2017, दिनांक 25 / 10 / 2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 19 / 11 / 2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 19 / 02 / 2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम—डुमरडीहकला, तहसील व जिला—राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 119 कुल क्षेत्रफल – 1.214 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 13,125 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 317वीं बैठक दिनांक 29 / 02 / 2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:—

1. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01 / 05 / 2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08 / 05 / 2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 321वीं बैठक दिनांक 15 / 05 / 2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री श्याम अग्रवाला, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:—

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत डुमरडीहकला का दिनांक 25 / 09 / 2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला—रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/तीन-6 / ख. लि. / 2016 / 540 रायपुर, दिनांक 01 / 03 / 2016 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक /2569/ख.लि.02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 18/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 12 खदानें, क्षेत्रफल 10.226 हेक्टेयर है।
4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2569/ख.लि.02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 18/10/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. **लीज का विवरण** – पूर्व में लीज श्रीमती मायालता भोजवानी के नाम पर थी। लीज डीड दिनांक 14/06/2018 को श्री श्याम अग्रवाल के नाम पर हस्तांतरित की गई है, जिसकी अवधि दिनांक 23/04/2047 है।
6. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्र./मा.चि./न.क्रं. 10-1/2020/1450 राजनांदगांव, दिनांक 07/02/2020 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 9 कि.मी. की दूरी पर है।
8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-टेलकाडीह 1 कि.मी., स्कूल/अस्पताल ग्राम-टेलकाडीह 1 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 0.3 कि.मी. दूर है।
9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
10. **जियोलॉजिकल रिजर्व** लगभग 3,03,500 टन, माईनेबल रिजर्व 46,842.5 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 42,158.25 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (5,032 वर्गमीटर) क्षेत्र होता है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। ओवरबर्डन को माईन बाउण्ड्री में डम्प किया जाता है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 6 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:—

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	875	1.5	1,312.5	3,282.5
द्वितीय	1,200	1.5	1,800	4,500
तृतीय	1,750	1.5	2,625	6,563
चतुर्थ	2,400	1.5	3,600	9,000
पंचम	3,500	1.5	5,250	13,125

11. जल की आपूर्ति समीपस्थ छोड़े हुए माईन पीट (Abandoned mine pit) से की जाती है। खदान एवं क्रशर में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है।
12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,200 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। लीज की सीमा (7.5 मीटर चौड़ी) क्षेत्र में उत्खनन का कार्य किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस क्षेत्र में ओव्हरबर्डन से भराव कर रोपण का कार्य जनवरी, 2021 से पूर्व किया जाएगा।
13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**
 - i. पूर्व में खसरा क्रमांक 119 में स्थित खदान कुल क्षेत्रफल – 1.214 हेक्टेयर, क्षमता – 13,125 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-राजनांदगांव द्वारा दिनांक 09/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई।
 - ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
 - iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
 - iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/418/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 12/02/2020 के अनुसार वर्ष 2017 में 4,056 टन, 2018 में 5,620 टन एवं 2019 में 6,000 टन उत्खनन किया गया है।
14. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-
 - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक /2569/ख.लि.02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 18/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 12 खदानें, क्षेत्रफल 10.226 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-डुमरडीहकला) को मिलाकर कुल रकबा 11.44 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए.

/ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

- i. Project Proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & mined out area, calculation of mined out area and an action plan for complete plantation before January, 2021.
- ii. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- iii. Project Proponent shall submit the Common Environment Management Plan.
- iv. Project proponent has submitted that source of water for dust suppression is through adjacent abandoned mine pit. In this regard, project proponent shall submit agreement copy for usage of water.
- v. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.
- vi. Project Proponent shall submit NOC from DGMS for blasting.
- vii. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

13. मेसर्स जोरातराई लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री सत्यनारायण शर्मा), ग्राम-जोरातराई, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 994)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 44666/2016, दिनांक 31/10/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 21/11/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 19/02/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-जोरातराई, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 259/2, कुल क्षेत्रफल – 0.6 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 4,276 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 317वीं बैठक दिनांक 29/02/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 321वीं बैठक दिनांक 15/05/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सत्यनारायण शर्मा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:—

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** — उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत जोराताराई(म) का दिनांक 22/01/2014 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** — क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि. प्रशा.), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क./तीन-6/ख.लि./2016/734(2) रायपुर, दिनांक 14/03/2016 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** — कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक /2357/ख.लि.02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 25/09/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 10 खदानें, कुल क्षेत्रफल 32.8 हेक्टेयर है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कार्यालय कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र में रकबा हेक्टेयर में उल्लेखित है, जो कि वास्तव में एकड़ में है।
4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ** — कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक /2357/ख.लि.02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 25/09/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. **लीज का विवरण** — लीज श्री सत्यनारायण शर्मा के नाम पर है, जो 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 06/05/2004 से 05/05/2014 तक की अवधि हेतु थी। कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा) जिला-राजनांदगांव के पत्र क्रमांक 3914/ख. लि.02/2016 राजनांदगांव दिनांक 16/12/2016 द्वारा खनिपट्टे की अवधि 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 06/05/2014 से 05/05/2034 तक बढ़ाने हेतु अनुबंध पत्र जारी किया गया है।
6. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** — डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्र./मा.चि./न.क्रं.10-1/2020/1417 राजनांदगांव, दिनांक

06/02/2020 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 0.9 कि.मी. की दूरी पर है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम—मुरहीपार 2 कि.मी., स्कूल एवं अस्पताल ग्राम—मुरहीपार 2 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 06 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 11 कि.मी. दूर है।
9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित होना प्रतिवेदित किया है। मनघटा संरक्षित क्षेत्र की दूरी 0.18 कि.मी. है।
10. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 39,813 टन, माईनेबल रिजर्व 31,808 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 30,217 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (4,095 वर्गमीटर) क्षेत्र होता है। खदान की चौड़ाई 28 मीटर है। 7.5 मीटर के क्षेत्र को छोड़े जाने पर कार्यशील चौड़ाई 13 मीटर होती है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। क्रशर लगाया जाना प्रस्तावित नहीं है। ओवरबर्डन को माईन बाउण्ड्री में डम्प किया जाता है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 8 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:—

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,000	1	1,000	4,276
	200	2.5	500	
	100	3	300	
द्वितीय	480	2.5	1,200	4,275
	200	3	600	
तृतीय	700	2	1,400	4,180
	120	3	360	
चतुर्थ	240	2.5	600	4,275
	400	3	1,200	
पंचम	120	3	360	4,085
	200	3	600	
	520	1	520	
	80	3	240	

11. परियोजना हेतु आवश्यक जल की खपत 8 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल से की जाती है।
12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। लीज की सीमा (7.5 मीटर चौड़ी) क्षेत्र में उत्खनन का कार्य किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस क्षेत्र में ओवरबर्डन से भराव कर रोपण का कार्य जनवरी, 2021 से पूर्व किया जाएगा।
13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:—**

- i. पूर्व में खदान खसरा क्रमांक 259/2, कुल क्षेत्रफल—0.6 हेक्टेयर है, क्षमता – 4,276 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण राजनांदगांव द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 10/11/2016 के द्वारा जारी दिनांक से दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी किया गया है।
- ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला—राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/826/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 13/05/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:—

क्रमांक	वर्ष	उत्पादन(टन)
1	2010	3,322
2	2011	4,698
3	2012	2,725
4	2013	7,456
5	2014 से 2016 तक	2,550
6	2017	1,700
7	2018—19	4,250
8	2019—20	4,250

14. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:—
 - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला—राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक /2357/ख.लि.02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 25/09/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 10 खदानें, कुल क्षेत्रफल 13.27 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम—जोरातराड़) को मिलाकर कुल रकबा 13.886 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

- i. Project Proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & mined out area, calculation of mined out area and an action plan for complete plantation before January, 2021.
- ii. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- iii. Project Proponent shall submit the Common Environment Management Plan.
- iv. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines from concerned department.
- v. Project proponent shall submit previous years production data incorporating the financial year 2017-18 from concerned department.
- vi. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.
- vii. Project proponent shall submit NOC copy of CGWA for usage of ground water.
- viii. Project Proponent shall submit NOC from DGMS for blasting.
- ix. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

14. कार्यालय कलेक्टर (खनिज) कबीरधाम, छत्तीसगढ़ द्वारा मेसर्स गणपति मेटल्स एण्ड मिनरल्स, दुर्ग को ग्राम-तालपुर खसरा क्रमांक 40/1, 40/2 एवं 41/2, रकबा 2.513 हेक्टेयर क्षेत्र में स्वीकृत गौण खनिज चूना पत्थर के संबंध में पर्यावरणीय सम्मति हेतु मार्गदर्शन बाबत:-

कार्यालय कलेक्टर (खनिज) कबीरधाम, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1568/ख.लि./2019 कबीरधाम, दिनांक 09/10/2019 द्वारा मेसर्स गणपति मेटल्स एण्ड मिनरल्स दुर्ग, ग्राम-तालपुर खसरा क्रमांक 40/1, 40/2 एवं 41/2, रकबा 2.513 हेक्टेयर क्षेत्र में स्वीकृत गौण खनिज चूना पत्थर खदान के संबंध में प्रस्तुत पर्यावरणीय सम्मति हेतु निम्नानुसार उल्लेख किया गया है:-

“मेसर्स गणपति मेटल्स एण्ड मिनरल्स दुर्ग, ग्राम-तालपुर ख.क्र. 40/1, 40/2 एवं 41/2, रकबा 2.513 हे. क्षेत्र में स्वीकृत गौण खनिज चूना पत्थर उत्खनि पट्टा दिनांक 30/05/2009 से 29/05/2039 (30 वर्ष) तक के लिए स्वीकृत है। उक्त स्वीकृत खदान के लिये 76,951 मि.टन प्रतिवर्ष उत्पादन हेतु पर्यावरणीय सम्मति दिनांक 12/01/2016 से आगामी 05 वर्ष के लिए जारी किया गया था।

पट्टेदार द्वारा गौण खनिज नियमों एवं उत्खनन पट्टा की शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर स्वीकृत पट्टा को कार्यालय के आदेश क्रमांक 347/दिनांक 29/05/2018 को प्रतिभूति निक्षेप राशि को समपहृत करते हुए उत्खननपट्टा को पर्यवसित किया गया था। अनावेदक द्वारा उक्त ओदश के विरुद्ध माननीय न्यायालय संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म छ.ग. रायपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश अनुसार अनावेदक/पट्टेदार को संशोधित माईनिंग प्लान एवं नवीन पर्यावरणीय सम्मति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना है।

अनावेदक/पट्टेदार द्वारा संशोधित/अनुमोदित माईनिंग प्लान के साथ क्षेत्रीय प्रमुख, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल भिलाई से उक्त खदान के लिए 56,843 मि.टन प्रतिवर्ष उत्पादन हेतु जल एवं वायु सम्मति प्राप्त कर प्रस्तुत किये हैं।”

उक्त के संबंध में नवीन पर्यावरणीय सम्मति के स्थान पर क्षेत्रीय प्रमुख, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई द्वारा जारी जल एवं वायु सम्मति को पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य किए जाने अथवा नहीं? हेतु मार्गदर्शन चाहा गया है।

साथ ही मेसर्स गणपति मेटल्स एण्ड मिनरल्स, दुर्ग के पत्र दिनांक 07/11/2019 में उपरोक्त के संदर्भ में दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:—

कार्यालय कलेक्टर (खनिज) कबीरधाम, छत्तीसगढ़ द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई द्वारा जारी जल एवं वायु सम्मति को पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य किए जाने अथवा नहीं किये जाने हेतु मार्गदर्शन चाहा गया है। चूंकि पर्यावरणीय स्वीकृति तथा जल एवं वायु सम्मति पृथक-पृथक नियमों के तहत भिन्न-भिन्न प्राधिकरण/संस्था द्वारा जारी किए जाने का प्रावधान है। अतः खदान के लिये ई.आई.ए., 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि जल एवं वायु सम्मति को पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य नहीं किया जा सकता है। अतः आवेदक को ई.आई.ए., 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना होगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/02/2020 को संपन्न 94वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 14/02/2020 द्वारा नये तथ्यों का समावेश करते हुये पुनःविचार हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकरण द्वारा उक्त नये तथ्यों के आधार पर विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उक्त आवेदन को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(ब) समिति की 317वीं बैठक दिनांक 29/02/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:—

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उल्लेखित आवश्यक / नवीन तथ्य निम्नानुसार है:-

1. पूर्व में जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), जिला-कबीरधाम द्वारा 76,951 टन पर 5 वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी वैधता दिनांक 11/01/2021 तक है।
2. खनिज अधिकारी, जिला-कबीरधाम द्वारा दिनांक 29/05/2018 द्वारा उत्खनन पट्टा को पर्यवसित कर दिया गया था।
3. तदानुसार हमारे द्वारा माननीय न्यायालय, संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के समक्ष अपील दायर की गई है।
4. माननीय संचालक न्यायालय, संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा अपील पर दिनांक 19/06/2019 को संशोधित उत्खनन योजना का अनुमोदन करा कर नवीन पर्यावरण सम्मति प्राप्त करने के शर्त पर अपील स्वीकार करते हुये गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेते हुये प्रकरण को प्रत्यावर्तित किया गया।
5. उपरोक्त के संदर्भ में संशोधित उत्खनन योजना खनिज अधिकारी, जिला-बेमेतरा द्वारा अनुमोदित किया गया जिसमें उत्पादन क्षमता घटकर 56,483 टन हो गई।
6. तत्पश्चात्, जो कि पूर्व पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 11/01/2021 तक है तथा ई. आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 के अनुसार उत्पादन क्षमता में वृद्धि न होने, उत्खनन तकनीक में भी परिवर्तन न होने तथा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के शर्तानुसार भू-जल स्तर के ऊपर ही उत्खनन करना प्रस्तावित होने के कारण पुनः पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।
7. अतः संशोधित उत्खनन क्षमता-56,483 टन जो कि पर्यावरण स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), जिला-कबीरधाम द्वारा प्राप्त 76,951 टन से कम होने के कारण नवीन पर्यावरण सम्मति (जल एवं वायु सम्मति) क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा प्राप्त किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को प्रकरण से संबंधित समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी, छ.ग. के ज्ञापन दिनांक 08/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 321वीं बैठक दिनांक 15/05/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अजय गुप्ता, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह बताया गया कि पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति के समय अनुमोदित माईनिंग प्लान में 12 मीटर गहराई तक उत्खनन प्रस्तावित किया गया था। वर्तमान में संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान में 30 मीटर गहराई तक उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है।
2. माननीय संचालक न्यायालय, संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म के आदेश दिनांक 12/06/2019 में निम्न तथ्य पाये गए:-

- i. ग्राम वासियों के शिकायत पर खनि निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी के संयुक्त जांच ग्राम वासियों की उपस्थिति में किया गया, जिसमें निम्न स्थिति पाई गई थी:—
 1. उत्खनन पट्टा क्षेत्र में सीमा स्थापित नहीं होना।
 2. पट्टेदार द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर एवं उत्खनन पट्टा में अनुमोदित गहराई से अधिक खनन किया जाना।
 3. खनन क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं पानी के समुचित छिड़काव नहीं करना।
 4. भारी मात्रा में ब्लास्टिंग किया जाना।
 - ii. आदेश दिनांक 12/06/2019 में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अभिमत के अनुसार भू-जल स्तर को देखते हुए 60 फीट से अधिक गहराई तक खनन के लिए पर्यावरण सम्मति जारी किया जाना संभव नहीं होने का उल्लेख है।
 - iii. आदेश दिनांक 12/06/2019 अनुसार पट्टेदार को संशोधित माईनिंग प्लान एवं नवीन पर्यावरणीय सम्मति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना है।
3. जांच रिपोर्ट में पाए गये बिंदुओं से स्पष्ट होता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), जिला-कबीरधाम के द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित शर्तों का सक्षम ढंग से पालन नहीं करते हुये शर्तों का उल्लंघन किया गया है। अतः संशोधित माईनिंग प्लान के परिपेक्ष्य में शर्तों का आंकलन कर पुनः निर्धारण किया जाना आवश्यक है।
 4. जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), जिला-कबीरधाम के द्वारा अधिकतम 6 मीटर की गहराई तक उत्खनन किए जाने के आधार पर प्रकरण की विवेचना कर तदानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी। वर्तमान में संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान में 30 मीटर गहराई तक उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है। पूर्व में हाईड्रोलॉजिकल स्टडी नहीं होने के कारण वर्तमान में यह अध्ययन कर यह पुष्टि किया जाना आवश्यक है कि उक्त गहराई तक उत्खनन करने से आस-पास के भू-जल स्तर / गुणवत्ता में कोई दुष्प्रभाव पड़ने की आशंका तो नहीं है? अतः संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार समग्र रूप से पर्यावरणीय दृष्टि से पुनर्मुल्यांकन किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त आशय की पुष्टि माननीय संचालक न्यायालय, संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म के आदेश दिनांक 12/06/2019 में पट्टेदार को नवीन पर्यावरणीय सम्मति प्राप्त कर प्रस्तुत करने से भी होती है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि आवेदक को वर्तमान में संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना होगा। तदानुसार कलेक्टर, कबीरधाम को सूचित किए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

15. मेसर्स मयूरा सरिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-भिट्टीकला, तहसील-अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1205)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 51501/ 2020, दिनांक 24/02/2020।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत ग्राम-भिट्टीकला, तहसील-अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा स्थित खसरा क्रमांक 63/4 में रोलिंग मिल क्षमता – 25,500 टन प्रतिवर्ष से 57,000 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए टीओआर हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित परियोजना हेतु इकाई की कुल विनियोग रुपये 3.6 करोड़ है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 317वीं बैठक दिनांक 29/02/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:—

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालनार्थ की कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाये।
2. भूमि स्वामित्व / भूमि आबंटन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की जाये।
3. वर्तमान रोलिंग मिल में री-हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया गया है अथवा नहीं? क्षमता विस्तार के तहत रोलिंग मिल में री-हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है अथवा नहीं? री-हीटिंग फर्नेस स्थापित है तो री-हीटिंग फर्नेस की संख्या, क्षमता, ईंधन का प्रकार एवं मात्रा, प्रयुक्त ईंधन के आधार पर चिमनी की ऊंचाई गणना एवं वर्तमान में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी। क्षमता विस्तार के तहत रोलिंग मिल में यदि री-हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है तो री-हीटिंग फर्नेस की संख्या, क्षमता, ईंधन का प्रकार एवं मात्रा, प्रयुक्त ईंधन के आधार पर चिमनी की ऊंचाई गणना सहित जानकारी एवं प्रस्तावित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत की जाये।
4. सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा / गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत की जाये।
5. सेंट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार परियोजना स्थल सेमी क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल अथवा सेफ जोन के अंतर्गत आने बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाये। ग्राउण्ड वाटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाये।
6. वर्तमान में स्थापित एवं क्षमता विस्तार के तहत प्रस्तावित ग्राउंड वाटर रिचार्ज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का विवरण (नंबर एवं साईज सहित) प्रस्तुत की जाये।
7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

8. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी, छ.ग. के ज्ञापन दिनांक 06/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 321वीं बैठक दिनांक 15/05/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 14/05/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि लॉक डाउन होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह की आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक-3: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

1. मेसर्स श्री नितिश अग्रवाल लाईम स्टोन क्वारी, ग्राम-डुमरडीहकला, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1006)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 43984/2017, दिनांक 07/11/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 30/11/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 14/02/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-डुमरडीहकला, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 106/1, कुल क्षेत्रफल - 0.955 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 14,438 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 317वीं बैठक दिनांक 29/02/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
2. आवेदनकर्ता के नाम पर जारी एल.ओ.आई. / लीज डीड की प्रति प्रस्तुत की जाए। साथ ही भू-स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 318वीं बैठक दिनांक 12/05/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नितिश अग्रवाल, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति के समक्ष परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुरोध किया गया कि समिति के समक्ष अपूर्ण जानकारी / दस्तावेज होने के कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः उक्त आवेदन समिति की दिनांक 15/05/2020 को आयोजित बैठक में विचार किया जाए। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आयोजित बैठक दिनांक 15/05/2020 में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

परियोजना प्रस्तावक को दूरभाष एवं ई-मेल के माध्यम से सूचित किया गया।

(स) समिति की 321वीं बैठक दिनांक 15/05/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नितिश अग्रवाल, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:—

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** — उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत डुमरडीहकला का दिनांक 04/11/2007 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** — क्वारी प्लान विथ क्वारी क्लोजर प्लान एण्ड इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.) जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क/ख.लि./ तीन-6/2016/668 रायपुर, दिनांक 17/03/2016 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** — कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2802/ख.लि.03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 07/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 9 खदानें, कुल क्षेत्रफल 8.704 हेक्टेयर है।
4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ** — कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक /2802/ख.लि.03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 07/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **लीज का विवरण** – पूर्व में लीज श्रीमती संध्या जैन के नाम पर थी। जिसे दिनांक 05/11/2014 को श्री नितिश अग्रवाल के नाम पर हस्तांतरित किया गया है। वर्तमान में लीज डीड की वैधता दिनांक 09/04/2038 तक की अवधि हेतु वैध है।
6. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्र./मा.चि./न.क्रं. 10-1/2020/1629 राजनांदगांव, दिनांक 13/02/2020 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 8 कि.मी. की दूरी पर है।
8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-ठेलकाडीह 1 कि.मी. एवं स्कूल/अस्पताल ग्राम-ठेलकाडीह 1 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 20 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3 कि.मी. दूर है। तालाब 0.2 कि.मी. एवं शिवनाथ नदी 18.5 कि.मी. दूर है।
9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
10. **जियोलॉजिकल रिजर्व** लगभग 3,58,125 टन, माईनेबल रिजर्व 2,08,567 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,87,710 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (2,660 वर्गमीटर) क्षेत्र होता है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। वर्तमान में 7 मीटर गहराई तक उत्खनन किया गया है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 15 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:—

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,575	1.5	2,363	3,283
द्वितीय	2,000	1.5	3,000	7,500
तृतीय	2,700	1.5	4,050	10,125
चतुर्थ	3,250	1.5	4,875	12,188
पंचम	3,850	1.5	5,775	14,438

11. परियोजना हेतु आवश्यक जल की खपत 8 घनमीटर प्रतिदिन है। जल की आपूर्ति निकटतम बोरवेल के माध्यम से की जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है।
12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 700 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। लीज की सीमा (7.5 मीटर चौड़ी) क्षेत्र में उत्खनन का कार्य किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस क्षेत्र में ओवरबर्डन से भराव कर रोपण का कार्य जनवरी, 2021 से पूर्व किया जाएगा।
13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:—**

- i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 106/1, क्षेत्रफल 0.955 हेक्टेयर, क्षमता-14,438 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-राजनांदगांव द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 09/03/2017 के द्वारा जारी दिनांक से दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी किया गया था।
- ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/825/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 12/05/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रमांक	वर्ष	उत्पादन
1	2016-17	7,500
2	2017-18	14,125
3	2018-19	10,700
4	2019-20	6,800

14. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2802/ख.लि.03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 07/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 9 खदानें, कुल क्षेत्रफल 8.704 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-डुमरडीहकला) को मिलाकर कुल रकबा 9.659 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

- i. Project Proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & mined out area, calculation of mined out area and an action plan for complete plantation before January, 2021.
- ii. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- iii. Project Proponent shall submit the Common Environment Management Plan.
- iv. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.
- v. Project proponent shall submit NOC copy of CGWA for usage of ground water.
- vi. Project Proponent shall submit NOC from DGMS for blasting.
- vii. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स श्री वैभव सलूजा (धामनसरा सेण्ड माईन, ग्राम—धामनसरा, तहसील व जिला—राजनांदगांव), गोकुल ब्लॉक, डिडवानिया रेजेंसी, जिला—रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1178)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 141756 / 2020, दिनांक 15 / 02 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम—धामनसरा, तहसील व जिला—राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 79, कुल लीज क्षेत्र 4.9 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन शिवनाथ नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 98,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 317वीं बैठक दिनांक 29 / 02 / 2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:—

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 10 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्रोत की दूरी बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका मौके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत उल्लेख किया जाए।
5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
6. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त चिन्हांकित/सीमांकित प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की जाए।
7. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
8. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
9. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
10. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 319वीं बैठक दिनांक 13/05/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 12/05/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः दिनांक 15/05/2020 के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को दिनांक 15/05/2020 के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

परियोजना प्रस्तावक को दूरभाष एवं ई-मेल के माध्यम से सूचित किया गया।

(स) समिति की 321वीं बैठक दिनांक 15/05/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 15/05/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह की आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(भोसकर विलास संदिपान)

सदस्य सचिव

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति

छत्तीसगढ़

(धीरेन्द्र शर्मा)

अध्यक्ष

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति

छत्तीसगढ़

मेसर्स देवीपुर आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.-श्री आनंद कुमार सिंघल)
को खसरा क्रमांक 1517, कुल लीज क्षेत्र 0.753 हेक्टेयर, ग्राम-देवीपुर, तहसील व
जिला-सूरजपुर में साधारण पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता-10,338 टन प्रतिवर्ष हेतु
पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 0.753 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से साधारण पत्थर का अधिकतम उत्खनन 10,338 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
3. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
4. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
5. भू-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
6. किसी चिमनी / वेंट / प्वाइंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेसन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

7. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
8. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।
9. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
10. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
11. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्डों में पुनःभरण (बैंक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
13. खनिज का परिवहन मेकनेकली कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
14. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40.87	2%	0.82	Following activities at Govt. Primary School Palpapur	
			Village- Devipur	
			Rain Water Harvesting	1.04

			System	
			Potable Drinking Water	0.25
			Running Water Arrangement	0.10
			Plantation	0.10
			Books Distribution related to Environment Conservation	0.05
			Total	1.54

15. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
16. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 700 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
17. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2020 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
19. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फ्लाइ रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
20. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
21. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

23. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
24. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
25. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
26. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
27. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
28. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
29. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।
30. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकापुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।
31. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।
32. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

33. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
34. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
35. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
36. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स परना लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री संजय कुमार ठाकुर)
को खसरा क्रमांक 6/1(पार्ट), 6/2(पार्ट), 6/3(पार्ट), 6/5, 6/6(पार्ट), 7(पार्ट), कुल
लीज क्षेत्र 1.224 हेक्टेयर, ग्राम-परना, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव में चूना
पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता-10,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी
जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1.224 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 10,000 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
3. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
4. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
5. भू-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
6. किसी चिमनी / वेंट / प्वाइंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेंट कम सप्रेसन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
7. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट

मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

8. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।
9. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्वार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (कॉन्करेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
10. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
11. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्डों में पुनःभरण (बैंक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
13. खनिज का परिवहन मेकनेकली कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
14. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए:—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
35	2%	0.70	Following activities at Near by Govt. School Village-Parna	
			Rain Water Harvesting System	0.50
			Plantation	0.20
			Total	0.70

15. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।

16. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 900 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
17. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2020 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 300 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
19. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फ्लाइ रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
20. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
21. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
23. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
24. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
25. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
26. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
27. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी

निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

28. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
29. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।
30. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई-दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।
31. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।
32. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।
33. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
34. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

35. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला—व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
36. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स भारत बिल्डर्स (प्रो.- श्रीमती शांति देवी)

को खसरा क्रमांक 34/3,4,5,6, कुल लीज क्षेत्र 0.688 हेक्टेयर, ग्राम-परना, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव में चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता-14,400 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 0.688 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 14,400 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
3. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
4. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
5. भू-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
6. किसी चिमनी/वेंट/प्वाइंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेसन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संचालन/संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
7. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत

सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

8. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप/भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।
9. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
10. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
11. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्डों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल/गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
13. खनिज का परिवहन मेकनेकली कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
14. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
20	2%	0.40	Following activities at Near by Govt. School Village-Parna	
			Rain Water Harvesting System	0.40
			Plantation	
			Total	0.40

15. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
16. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 650 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
17. खदान की सीमा (7.5 मीटर चौड़ी) में पूर्व से उत्खनित क्षेत्र ओवरबर्डन से भरकर वृक्षारोपण का कार्य प्राथमिता से 3 माह के पूर्व किया जाए। निर्धारित समयावधि उक्त कार्य पूर्ण नहीं किए जाने की स्थिति पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी, जिसमें पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्तीकरण भी शामिल है।
18. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2020 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
20. सक्षम प्राधिकारी/डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फलाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
21. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
22. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
24. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
25. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

26. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
27. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़/पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
28. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों/विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
29. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन/निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
30. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।
31. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई-दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।
32. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।
33. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।
34. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

35. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़/पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
36. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
37. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.